1/24499/2024

Speed post /त्रिव डाक

भारत सरकार खानमंत्रालय भारतीय खान ब्युरो क्षेत्रीय खाननियंत्रीयक का कार्यालय माख्पुरा ओद्योगिक क्षेत्र, अजमेर ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in





Violation letter/उल्लंघन पत्र Government of Indi

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines. Makhupura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax2695202

संख्या: MCDR-MiFL0LST/8/2022-AJM-IBM RO AJM दिनांक: /11/2023

प्रेषित: खान एजेंट,

राजश्री-2 चुना पत्थर खान,

मेसर्स: अल्ट्राटेक सिमेन्ट लिमिटेड, यूनिट-बिरला वाईट,

D-7, शास्त्री नगर, जोधपुर, राजस्थान-306709

(e-mail: alok.nigam@adityabirla.com, gopi.dhayal@adityabirla.com)

विषय: राजस्थान राज्य के नागौर जिले में स्थित आपकी राजश्री-2 चुना पत्थर खान में खिनज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में। महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 22/12/2023 by undersign and Sri Ajay Jatolia, AME in presence of Sri Gopi Dhayal, Mine Head, Shri Narendra Singh, Mine Manager and Shri Vivek Retwij Bhardwaj, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
11(1)	Mining operations have not been carried out in accordance to Review of Mining
	Plan approved on 25/01/2021 to the extent given below for the year 2022-23:
	(1) It is observe that development has been carried out over non-approved area at
	places like western side of dump-3, south of boundary pillar M, eastern and southern
	side of waste dump 2 etc.
	(2) The screen reject dumping was extended in non-approved area i.e. southern side
	of the existing screen reject dump. Further, the backfilling is also not carried out
	over the proposed area.
	(3)An area of 0.351 hectare has been proposed to back fill during the year 2022-23,
	whereas as per PMCP report an area of 8.379 hectare was backfilled during the year
	2022-23.

- 02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज सरंक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
 - (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
 - (ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
 - (ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।

MCDR-MiFLOLST/8/2022-AJM-IBM_RO_AJM

1/24499/2024

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 45 (पैतालीस) दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

भवदीय

(दिलीप जैन) वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक भारतीय खान ब्युरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषितः

- 1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्युरो, उदयपुर। (email द्वारा)
- 2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
- 3. सहायक खिन अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, नागौर।
- 4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक भारतीय खान ब्युरो, अजमेर